रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052024-254209
CG-DL-E-16052024-254209

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 2024/वैशाख 26, 1946
No. 257] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2024/VAISAKHA 26, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2024

संख्या 08/2024-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 278(अ).—जब कि चीन जनवादी गणराज्य, सऊदी अरब और ताइवान (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “पेंटाएरीथ्रीटोल” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2905 42 90 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष में अधिसूचना फाइल संख्या 06/04/2023-डीजीटीआर, दिनांक 20 फरवरी, 2024, जिसे दिनांक 20 फरवरी, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है कि –

(i) विचारार्थ उत्पाद भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है जिसके कारण डंपिंग हुई है;

(ii) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है;

(iii) घरेलू उद्योग को जो वास्तविक क्षति हुई है वह संबद्ध देशों से डंप किए गए आयात के कारण हुई है,

और यह सिफारिश करती है कि घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाये ।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धाराओं (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, जो सारणी के कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और सारणी के कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, सारणी के कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और सारणी के कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक / निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**2905 42 90**	पेंटाएरी थ्रीटोल	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	कोई भी	**345.15**	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	**2905 42 90**	पेंटाएरी थ्रीटोल	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	**345.15**	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	**2905 42 90**	पेंटाएरी थ्रीटोल	सऊदी अरब	सऊदी अरब समेत कोई भी देश	कोई भी	**300.15**	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4	**2905 42 90**	पेंटाएरी थ्रीटोल	सऊदी अरब के अलावा कोई भी देश	सऊदी अरब	कोई भी	**300.15**	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5	**2905 42 90**	पेंटाएरी थ्रीटोल	ताइवान	ताइवान समेत कोई भी देश	कोई भी	**499.01**	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6	**2905 42 90**	पेंटाएरी थ्रीटोल	ताइवान के अलावा कोई भी देश	ताइवान	कोई भी	**499.01**	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अवधि के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/**56**/2024-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2024

No. 08/2024-Customs (ADD)

G.S.R. 278 (E).—Whereas, in the matter of "Pentaerythritol" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 2905 42 90 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR, Saudi Arabia and Taiwan (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification F. No. 06/04/2023-DGTR, dated the 20th February, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 20th February, 2024, has come to the conclusion, *inter alia* that-

(i) the product under consideration has been exported to India at a price below normal value, thus resulting in dumping;

(ii) the domestic industry is suffering material injury;

(iii) the material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports from subject countries,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely :-

TABLE

S. No.	**Tariff item**	**Description of goods**	**Country of origin**	**Country of export**	**Producer /exporter**	**Amount**	**Unit of measurement**	**Currency**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1.	2905 42 90	Pentaerythritol	China PR	Any country including China PR	Any	345.15	MT	USD
2.	2905 42 90	Pentaerythritol	Any country other than China PR	China PR	Any	345.15	MT	USD
3.	2905 42 90	Pentaerythritol	Saudi Arabia	Any country including Saudi Arabia	Any	300.15	MT	USD
4.	2905 42 90	Pentaerythritol	Any country other than Saudi Arabia	Saudi Arabia	Any	300.15	MT	USD
5.	2905 42 90	Pentaerythritol	Taiwan	Any country including	Any	499.01	MT	USD

				Taiwan				
6.	2905 42 90	Pentaerythritol	Any country other than Taiwan	Taiwan	Any	499.01	MT	USD

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/56/2024-TRU Section-CBEC]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.05.16 20:27:45 +05'30'